

उत्तर प्रदेश शासन  
आवास अनुभाग—१  
संख्या : 2769 / ९—आ—१—२०००  
लखनऊ : दिनांक : ८ जून, २०००

### कार्यालय ज्ञाप

---

शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि अधिकतर विकास प्राधिकरणों में स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत जमा किए गए मानचित्रों का निस्तारण कई—कई माह का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी नहीं किया गया है। इसका मुख्य कारण विभाग में इस विषय की जानकारी रखने वाले अधिकारियों की कमी है।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश संख्या : 2102 / ९—आ—१—२००० दिनांक 08.05.2000, द्वारा गठित तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं आवश्यकता पड़ने पर मण्डलायुक्तों की भाँति समस्त प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं।

भवदीय,  
संजय भूसरेड्डी  
विशेष सचिव।

---

संख्या— 2769 (१) / आ०ब० / नि०सम० / आर्ब०० / २०००.१ तद्दिनांक।

---

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आवास आयुक्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद।
2. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
4. आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
5. इस्टेट बिल्डर्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश द्वारा एल्डिको हाऊसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि�०, प्रगति केन्द्र, कपूरथला, लखनऊ।

संजय भूसरेड्डी  
विशेष सचिव।